न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 141/2012

वादीगण :-

1. अमरीबाई उर्फ उमराव
   पत्नि सोहनलाल
2. मदनलाल पुत्र हरिराम
3. अम्बालाल पुत्र पाबुराम
4. ओमप्रकाश पुत्र पाबुराम
5. किशोर पुत्र सीताराम
6. गणेश उर्फ मुकेश पुत्र सीताराम

समस्त जातियान–ब्राह्मण,
निवासीगण–रामावासखुर्द
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

चम्पादेवी पत्नि पुखराज फौत
के कायम मुकाम :-

1. कुनाराम पुत्र पुखराज
2. नैनाराम पुत्र पुखराज
3. तेजराम पुत्र हरिराम
4. चैनाराम पुत्र हरिराम
5. आनन्दीलाल पुत्र हरिराम
6. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल
7. सोहनराज पुत्र भंवरलाल
8. नारायणलाल पुत्र भंवरलाल
9. बलदेव उर्फ बाबुलाल
   पुत्र बंशीलाल
10. संतोष उर्फ शांतिलाल
    पुत्र बंशीलाल
11. भागीरथ पुत्र बंशीलाल
12. लादुराम पुत्र रूघलाल

जातियान–ब्राह्मण,निवासीगण–रामावासखुर्द
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

13. तहसीलदार, जैतारण
    तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.01.08.2012**

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 27/05/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–रामावासखुर्द, पटवार हल्का–रामावासकलां, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 166 रकबा 4–12 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 167 रकबा 1–04 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं खसरा नम्बर 168 रकबा 56–16 बीघा किस्म चा0सो0, कुल कुल–3 कुल 62–12 बीघा की आई हुई हैं। जिसके पक्षकारान् रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबन्दी इस भूमि की वाद पत्र के साथ पेश की हैं। इस भूमि में वादीया संख्या 1 अमरीबाई का 1/4वां हिस्सा आता हैं तथा वादीगण संख्या 2 मदनलाल का 1/20वां हिस्सा हैं। इसी प्रकार वादीगण संख्या 3 से 7 का 1/12वां हिस्सा आता हैं। इसी हिस्से के अनुसार वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के भी माफिक राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार हिस्से इस भूमि में आये हुये हैं। इस भूमि को वाद पत्र के आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती हैं, जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। उक्त विवादित भूमि की वर्तमान में कीमतें बढ़ गई हैं। इसी वजह से प्रतिवादीगण की नियत अब खराब हो गई हैं। उक्त भूमि कृषि भूमि हैं तथा सम्पूर्ण हिस्सेदारों के बीच संयुक्त व शामलाती हैं। इस विवादित जायदाद के सभी हिस्सेदार हर वर्ष शामलाती ही इस

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जमीन को काश्तकारों को काश्त हेतु व पशुओं की चराई हेतु सौंपते हैं तथा प्राप्त होने वाली आय को माफिक हक व हिस्से अनुसार आपस में बांट लेते हैं। इस विवादित भूमि का अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। फिर भी प्रतिवादीगण इस विवादित भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी क्रेता को बेचान कर देना चाह रहे हैं तथा अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि पर बतौर अतिक्रमी के कब्जा कर अजनबी क्रेता सौंपना चाहते हैं। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व दिगर प्रतिवादीगण को कहा कि इस विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवा लेवें। उसके बाद यदि आपको जमीन का बेचान करना चाहते हैं, तो बाद बंटवाड़ा के ही बेचान करें, ताकि विवाद नहीं होगा। परन्तु प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाड़ा आवश्यक हैं। जिस पर दिनांक 02/07/2012 को वादीगण द्वारा बंटवाड़ा कराने का कहने पर प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया। तब इस अवस्था में वादीगण के पास यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती हैं, जिनका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। प्रतिवादीगण सभी बदमाश प्रवृति के हैं। इस विवादित भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी क्रेता को बेचान कर इस भूमि के बहुमूल्य व उपयोगी स्थल का कब्जा भी अजनबी क्रेता को सौंप देना चाह रहे हैं। साथ ही वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि में आवागमन करने में बाधा व अड़चन भी पैदा कर रहे हैं। प्रतिवादीगण तमाम की नियत बद हैं। वह वादीगण के हक हिस्से की भूमि भी स्वयं दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहे हैं व इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को बेचान कर अजनबी क्रेता को सौंप देना चाह रहे हैं। इसी नियत से आये दिन वाद विवाद कर रहे हैं। वादीगण कानून को मानने वाले शांति प्रवृति के हैं। जिनके कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहे हैं तथा वादीगण को उनके आराजी में प्रवेश करने से भी रास्ते में व्यवधान डालकर रास्ते रोक रहे हैं। प्रतिवादीगण तमाम को वादीगण व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकड़ियों के बल पर वादीगण को बेदखल कर शामलाती भूमि पर जबरदस्ती मकान बना लिया तो वादीगण अपने खातेदारी भूमि का उपयोग / उपभोग करने से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें तथा वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों व निर्माण कार्य का विरोध करेंगे, जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषय परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 13 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। बिनायवाद दिनांक 02/07/12 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने पर व शामलाती भूमि को जबरदस्ती अजनबी क्रेता को बेचान करने की एलोनिया धमकी देने पर बमुकाम-रामावासखुर्द तहसील-जैतारण में उत्पन्न होता हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण ने वाद डिक्री किया जाकर वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 7 से 12 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनांक 03/09/12 को पेश किया, सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रामावास कलां में पेश हुई। वादीगण संख्या 1 से 6 तथा प्रति० 1 से 2 ने लोक अदालत की भावना से तहरीरी राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक सा०मि० किया गया। तहरीरी तस्दीक सुदा राजीनामा में मौज-रामावास खुर्द में खसरा नम्बर 166, 167 व 168 कुल किता-3 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

62-12 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण संख्या 1 से 6 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगाड़ी नापचौंप कर करावें। नजरी नक्शा व राजीनामा को निर्णय का एक आवश्यक भाग माना जावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 27/05/2015 को ही पेश किया, साभिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः माफिक राजीनामा विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादीगण एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-रामावासखुर्द, पटवार हल्का-रामावासकलां, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 166 रकबा 4-12 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 167 रकबा 1-04 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं खसरा नम्बर 168 रकबा 56-16 बीघा किस्म चा0सो0, कुल किला-3 कुल 62-12 बीघा में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	उमराव पत्नि सोहनलाल कौम-ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	168	15-07-00	चा0सो0	40.21 रू.
2	मोहनलाल सोहनराज नारायणलाल पि0 भंवरलाल 1/3 बाबुलाल शांतिलाल भागीरथ पि0 बंशीलाल गीता पत्नि बंशीलाल 1/3 अम्बालाल ओमप्रकाश पि0 पाबूराम किशोर गुणेश पि0 सीताराम दरियाव पत्नि सीताराम 1/3 कौम-ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	168/1	15-07-00	चा0सो0	40.22 रू.
3	चम्पादेवी पत्नि पुखराज कुनाराम नैनाराम पि0 पुखराज 1/5 तेजराज मदनलाल चैनाराम आनन्दीलाल पि0 हरिराम 4/5 कौम- ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	168/2	15-07-00	चा0सो0	40.22 रू.
4	लादूराम पुत्र रुघलाल कौम-ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	168/3 166	10-15-00 4-12-00	चा0सो0	40.22 रू.
योग		2	15-07-00	चा0सो0	40.22 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। राजीनामा बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छाया प्रतियाँ भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-रामावास कलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इजराई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :-

1. अमरीबाई उर्फ उमराव पत्नि सोहनलाल
2. मदनलाल पुत्र हरिराम
3. अम्बालाल पुत्र पाबुराम
4. ओमप्रकाश पुत्र पाबुराम
5. किशोर पुत्र सीताराम
6. गणेश उर्फ मुकेश पुत्र सीताराम

समस्त जातियान-ब्राह्मण,
निवासीगण-रामावासखुर्द
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

धन्नादेवी पत्नि पुखराज फौत के कायम मुकाम :-

1. फूलाराम पुत्र पुखराज
2. चैनाराम पुत्र पुखराज
3. तेजाराम पुत्र हरिराम
4. चैनाराम पुत्र हरिराम
5. आनन्दीलाल पुत्र हरिराम
6. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल
7. सोहनराज पुत्र भंवरलाल
8. नारायणलाल पुत्र भंवरलाल
9. बलदेव उर्फ बाबुलाल पुत्र बंशीलाल
10. संतोष उर्फ शांतिलाल पुत्र बंशीलाल
11. भागीरथ पुत्र बंशीलाल
12. लादुराम पुत्र रूपलाल

जातियान-ब्राह्मण,निवासीगण-रामावासखुर्द
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

13. तहसीलदार, जैतारण
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

मु0न0 रा0वा0 स0:141/2012

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादीगण एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-रामावासखुर्द, पटवार हल्का -रामावासकलां, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 166 रकबा 4-12 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 167 रकबा 1-04 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं खसरा नम्बर 168 रकबा 56-16 बीघा किस्म चा0सो0, कुल किता-3 कुल 62-12 बीघा में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा निम्नांकित रुप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	उमराव पत्नि सोहनलाल कौम-ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	168	15-07-00	चा0सो0	40.21 रू.
2	मोहनलाल सोहनराज नारायणलाल पि0 भंवरलाल 1/3 बाबुलाल शांतिलाल भागीरथ पि0 बंशीलाल गीता पत्नि बंशीलाल 1/3 अम्बालाल ओमप्रकाश पि0 पाबूराम किशोर गुणेश पि0 सीताराम दरियाव पत्नि सीताराम 1/3 कौम-ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	168/1	15-07-00	चा0सो0	40.22 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

3	चम्पादेवी पत्नि पुखराज कुनाराम नैनाराम पि0 पुखराज 1/5 तेजराज मदनलाल चैनाराम आनन्दीलाल पि0 हरिराम 4/5 कौम– ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	168/2	15-07-00	चा0सो0	40.22 रू.
4	लादूराम पुत्र रूघलाल कौम–ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	168/3 166	10- 15-00 4-12-00	चा0सो0	40.22 रू.
	योग	2	15-07-00	चा0सो0	40.22 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। राजीनामा बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छाया प्रतियाँ भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...
.–......फीस सदीं सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/05/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner